



परियोजना प्रबन्धन इकाई

स्वजल निदेशालय

उत्तराखण्ड ग्रामीण पेयजल एवं स्वच्छता कार्यक्रम

(पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, उत्तराखण्ड)

67 / 4-1 प्रीतम रोड, निकट राजकीय गॉधी शताब्दी नेत्र
चिकित्सालय, डालनवाला, देहरादून-248001



फोन : 0135- 2653380

वेब साईट: <http://swajal.uk.gov.in>

ई मेल : pmu_uttaranchal@rediffmail.com

GSTIN:05M RTP00700A1DV

पत्रांक: १८८/N-197/2021

दिनांक: २३ फरवरी, 2023

नीलामी सूचना

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि परियोजना प्रबन्धन इकाई, स्वजल निदेशालय, देहरादून द्वारा निष्प्रयोज्य एवं अनुपयोगी सामग्री जिसमें कार्यालय फर्नीचर की सार्वजनिक नीलामी ‘जहाँ है जैसे है’ के आधार पर दिनांक १५.२.२०२३ को अपराह्न १२:३०बजे, स्वजल पाठशाला, प्रसार प्रशिक्षण केन्द्र परिसर, शंकरपुर, बड़ा गौहर, पोस्ट-बड़ा रामपुर, देहरादून में उपलब्ध निष्प्रयोज्य एवं अनुपयोगी सामग्री की नीलामी स्वजल पाठशाला, परिसर शंकरपुर में दिनांक १५.२.२०२३ को अपराह्न १२:३०को की जानी है।

नीलाम की जाने वाली सामग्री का विवरण एवं नीलामी की शर्तें स्वजल-निदेशालय की वेबसाईट- <http://swajal.uk.gov.in> अथवा कार्यालय दिवसों में निदेशालय के कार्यालय में देखी जा सकती है।




परियोजना प्रबन्धन इकाई

स्वजल निदेशालय

उत्तराखण्ड ग्रामीण पेयजल एवं स्वच्छता कार्यक्रम
(पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, उत्तराखण्ड)
67/4-1 प्रीतम रोड, निकट राजकीय गाँधी शताब्दी नेत्र
चिकित्सालय, डालनवाला, देहरादून-248001

पत्रांक: 978/N-197 (IV)/TC



फोन : 0135- 2653380
वेब साईट: <http://swajal.uk.gov.in>
ई-मेल : pmu_uttaranchal@rediffmail.com
GSTIN: 05M RTP00700A1DV

दिनांक: 23 फरवरी, 2023

निष्प्रयोज्य / अनुपयोगी सामग्री की नीलामी सम्बन्धी शर्तें

- स्वजल पाठशाला, प्रसार प्रशिक्षण केन्द्र परिसर, शंकरपुर, बड़ा गौहर, पोस्ट-बड़ा रामपुर, देहरादून में उपलब्ध निष्प्रयोज्य / अनुपयोगी सामग्री की नीलामी स्वजल पाठशाला, परिसर, शंकरपुर में निर्धारित तिथि को की जायेगी।
- न्यूनतम बोली ₹ 9000.00 से प्रारम्भ की जायेगी।
- स्वजल पाठशाला में उपलब्ध निष्प्रयोज्य / अनुपयोगी सामग्री की नीलामी में भाग लेने वाले इच्छुक व्यक्ति नीलामी की तिथि दिनांक 14.02.2023 को अपराह्न 12:30 बजे तक ₹ 0 500.00 (₹ 0 पॉच सौ मात्र) की धनराशि नीलामी स्थल में धरोहर के रूप में नकद जमा कर नीलामी प्रक्रिया में सम्मिलित हो सकेंगे।
- नीलामी में अधिकतम बोलीदाताओं के द्वारा न्यूनतम बोली की धनराशि का 50 प्रतिशत तत्काल जमा करना अनिवार्य होगा। शेष धनराशि सक्षम अधिकारी की स्वीकृति के उपरान्त एक सप्ताह के अन्तर्गत अवशेष 50 प्रतिशत धनराशि तथा समस्त करों सहित जमा करना अनिवार्य होगा, तथा तत्काल समस्त सामग्री उठानी होगी। निर्धारित समय तक धनराशि जमा न करने पर धरोहर के रूप में जमा धनराशि जब्त कर ली जायेगी तथा द्वितीय उच्च बोलीदाता को अवसर प्रदान कर दिया जायेगा।
- विवाद उत्पन्न होने की दशा में निदेशक, स्वजल-निदेशालय, देहरादून का निर्णय अन्तिम एवं सर्वमान्य होगा, जिसे चुनौती नहीं दी जा सकेगी।
- प्रथम तीन उच्च बोलीदाताओं के द्वारा धरोहर के रूप में जमा धनराशि को नीलामी की सामग्री के निस्तारण के उपरान्त वापस कर दी जायेगी। शेष बोलीदाताओं को नीलामी की कार्यवाही पूर्ण होने के उपरान्त धनराशि उसी दिन वापस कर दी जायेगी।
- नीलामी की बोली को स्वीकार अथवा अस्वीकार करने का अधिकार नीलामी के लिये गठित नीलामी समिति / निदेशक, स्वजल का होगा।

निदेशक, स्वजल